

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

दत्तक पुत्र गोपाल जाति खाती उम्र 52 साल निवासी ग्राम सान्दौलिया तहसील अराई
अजमेर राज। -प्रार्थी

बनाम

लाशी पत्नी रतना जाति खाती उम्र वयस्क निवासी ग्राम सान्दौलिया तहसील अराई जिला
अजमेर राजस्थान व अन्य -अप्रार्थीगण।

रजिस्टर मुकदमा- धारा 212 राज.का. अधि. 1955

दर्ज क्रमांक 81 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 90.....

वकील अप्रार्थीगण.....

वकील प्रार्थी :- योगेश शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/7/24.....	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 02.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
02/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील श्री योगेश शर्मा ने 17/7/24 को पेश किया था जो की अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेश किया गया पत्रावली को 02/8/2024 को पेश हुआ।	योगेश शर्मा
27/9/24	पत्रावली पेश हुई वकील श्री योगेश शर्मा ने 17/7/24 को पेश किया था जो की अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेश किया गया पत्रावली को 27/9/2024 को पेश हुआ।	योगेश शर्मा
02/10/24	पत्रावली पेश हुई वकील श्री योगेश शर्मा ने 17/7/24 को पेश किया था जो की अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेश किया गया पत्रावली को 02/10/2024 को पेश हुआ।	योगेश शर्मा
07/10/24	पत्रावली पेश हुई वकील श्री योगेश शर्मा ने 17/7/24 को पेश किया था जो की अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेश किया गया पत्रावली को 07/10/2024 को पेश हुआ।	योगेश शर्मा

